48

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 192–तीन/2010 – विरूद्व आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2010 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 96/2006–07 अपील

श्रीमती नादामी वाई पत्नि मांगीलाल राय
ग्राम जैनी तहसील व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

हीरालाल पुत्र धुड़ीलाल राय
ग्राम जैनी तहसील व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0शर्मा)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6–7 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 96/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2010 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम जैनी स्थित खाता कमांक 89 पर धारित कुल किता 7 रकबा 3 वीघा 14 विसवा के अनावेदक हिस्सा 3/4 एंव आवेदक 1/4 के सामिलाती कृषक थे। नायव तहसीलदार वृत्त भानपुर तहसील श्योपुर ने प्रकरण कमांक 2/03–04 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 19–3–04 से भूमिस्वामियों के बीच बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील होने पर

प्रकरण कमांक 55/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2006 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 96/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-1-10 से नायव तहसीलदार वृत्त भानपुर का आदेश दिनांक 19-3-04 एंव अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का आदेश दिनांक 31-7-2006 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 96/2006-07 अपील का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने मान0 द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्योपुर के प्रकरण कमांक 14 ए/08 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 26-2-2010 तथा मान0 जिला न्यायाधीश श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 27-ए/10 अपील दीवानी में पारित आदेश दिनांक 4-1-2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत कर बताया कि वादोक्त भूमि के सम्बन्ध में अनावेदक ने स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने एंव भूमि का बटवारा कराने वावत् वाद दायर किया था जो निरस्त हुआ है उन्होंने माननीय न्यायालयों के आदेशों के परिप्रेक्ष्य निर्णय देने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 96/2006-07 अपील में आदेश दिनांक 23-1-10 पारित करके प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है एंव अपर आयुक्त के आदेश के पालन में तहसील स्तर पर उभय पक्ष की सुनवाई होना है माननीय व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है अतएव आवेदक

मान0 द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 14 ए/08 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 26-2-2010 तथा मान0जिला न्यायाधीश श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 27-ए/10 अपील दीवानी में पारित आदेश दिनांक 4-1-2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर आवेदक तद्नुसार कार्यवाही करावें। तद्नुसार विचाराधीन निगरानी इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर